



फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, मावली, उदयपुर

मुकदमा नं० ५९९ विपक्षी मांजी लाल
 याद पत्रावली संख्या ९५ सन् १८

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
<p>२०/०५/२३ पत्रावली तलब की गई। 'प्रशासन गांवों के संग अभियान-२०२३' आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारण को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प २५/५/२३ दिनांक २५/०५/२३ को पेश हो।</p>	
<p>५/६/२३ पत्रावली आज कैम्प पेश हुई प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक १५/७/२३ को पेश हों।</p>	
<p>१०/७/२३ पक्षकारों/प्रतिवादी उप. के लिये मौका चाहते हैं। अतः २३/७/२३ अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक १७/१०/२३ को पेश हो।</p>	
<p>१७/१०/२३ पत्रावली पेश २५/१०/२३ वकील प्रार्थी/अपीलण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रक्षक/उपरिपक्ष/पीठारसीन अधिकारी महा. भाग/अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक २१/११/२४ को पेश हो</p>	
<p>२५/१०/२३ पत्रावली वादीगण की ओर से अधिवक्ता जी विजय शर्मा द्वारा कालतनामा व प्रा. पत्र बीघा सुनवाई मय विज्ञो का पेश करने पर तलब की गई। प्रा. फा. रहे। अधि. वादीगण द्वारा प्रा. पत्र विज्ञो का पेश कर उससे पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर नया वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद विज्ञो किया जाने का निवेदन किया। वादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः वादीगण कोई कार्यवाही नहीं चाहते थे अब इस वाद को आगे चलाने जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः नया वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इस पत्रावली को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली कैम्पल सुमार डेकर नम्बर से कम है।</p>	<p>दस्ता वकालत पोकरालय युवती ल</p>   <p>१६/११/२४</p>



सहायक कलेक्टर (SDO) मावली